



जे.पी.आर.5-824

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005  
फोन नं0 - 0141-2747041, फ़ैक्स नं0 - 0141-2744803  
ईमेल - se\_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ.(वा.)/सी-1/पत्रा/प्रे0 1952

जयपुर, दिनांक- 7-12-2016

आदेश

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना।

निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/पत्रा/प्रे0 1258 जयपुर, दिनांक- 16.09.2016 (जेपीआर 5-808) द्वारा "मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना" के प्रथम चरण में ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतीकृत ढाणियों में स्थित आवासों में घरेलु विद्युत कनेक्शन हेतु पंजीकरण की अवधि 31 अक्टूबर, 2016 तक निर्धारित की गई थी, जिसे आदेश क्रमांक 1656 दिनांक 28.10.2016 (जेपीआर 5-817) द्वारा 30 नवम्बर, 2016 तक बढ़ाई गयी थी। उसे पुनः 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाया जाता है।

31 दिसम्बर, 2016 तक पंजीकृत सभी आवेदनों का सर्वे कर 31 जनवरी, 2017 तक लोड सेन्टर का निर्धारण किया जावेगा। आदेश क्रमांक 1258 दिनांक 16.09.2016 (जेपीआर 5-808) की शेष सभी नियम व शर्तें यथावत् रहेगी।

आज्ञा से

( के .के. पुरोहित )  
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)